“प्रदेश को बेहतर बनाने में सबको अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना होगा”

गणतंत्र की 60वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान का उद्‌बोधन

गणतंत्र की 60वीं वर्षगाँठ पर आपका हार्दिक अभिनन्दन और बधाई। अपना सर्वस्व लुटाकर भारतमाता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियाँ काटने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को आज के पावन दिन मैं नमन् करता हूँ। देश की आज़ादी, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की जिम्मेदारी अब हम सभी देशवासियों की है।

हाल ही में नगरीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न हुए हैं। मैं नवनिर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वे प्रदेश को अग्रणी बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन ईमानदारी से करेंगे।

सरकार और समाज को जोड़ने के लिए हमने **‘आओ बनाएँ अपना मध्यप्रदेश’** अभियान शुरू किया है। हर नागरिक को यह संकल्प लेना होगा कि वह प्रदेश को बेहतर बनाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देगा। इस अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए आज से मध्यप्रदेश बनाओ यात्रा भी शुरू की जा रही है।

राज्य सरकार ने सात प्राथमिकताएँ क्रमशः खेती को लाभ का धंधा बनाना, निवेश वृद्धि, अधोसंरचना विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, सुशासन और सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था निर्धारित की हैं। इनकी पूर्ति के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर कार्य किया जा रहा है।

कृषि को लाभ का धंधा बनाना राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों के लिए सहकारी ऋणों की ब्याज दर को 16 प्रतिशत से कम कर पाँच प्रतिशत किया गया। गेहूँ और धान के समर्थन मूल्य पर बोनस भी दिया जा रहा है। किसान काल सेंटर की सुविधा कृषकों में अत्यंत लोकप्रिय हुई है। इस साल विभिन्न योजनाओं के जरिये 58 हजार 777 हैक्टेयर में उद्यानिकी क्षेत्र का विस्तार भी किया गया है।

प्रदेश की 73 कृषि उपज मण्डी समितियों को फल-सब्जी के लिए अधिसूचित किया गया है। हमने 228 मण्डी प्रांगणों में किसानों को पाँच रुपये में भोजन देने की व्यवस्था की है। किसानों की सुविधा के लिए पिछले साल 24 नई तहसीलों का गठन तथा भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका को एकीकृत किया गया है। पशुधन संवर्धन की दिशा में प्रथम पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना जबलपुर में की गई। इसके अलावा 12 नये पशु औषधालय खोलने के साथ ही 25 पशु चिकित्सा संस्थाओं को सुदृढ़ किया गया।

मध्यप्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना से निवेश में वृद्धि हो रही है। वर्ष 2003 में निवेश के मामले में प्रदेश देश में दसवें स्थान पर था और अब छठवें पर है। सरकार की उद्योग हितैषी नीति के फलस्वरूप कुल 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश की परियोजनाएँ स्थल पर मूर्त रूप ले रही हैं। ग्यारह जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का काम प्रगति पर है। बीते पाँच वर्षों में 89 वृहद उद्योगों तथा 87 हजार से अधिक लघु और अति लघु उद्योगों की स्थापना हुई। इससे दो लाख से ज्यादा लोगों को रोज़गार मिला है।

अधोसंरचना विकास में सड़कों का प्रमुख स्थान है। पिछले छह साल में 52 हजार किलोमीटर लम्बाई की सड़कें प्रदेश में बनी हैं। इस वर्ष 11 हजार किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अमल में प्रदेश

लगातार अव्वल बना हुआ है। राजधानी को संभाग मुख्यालयों से चार लेन सड़कों, संभाग को जिला मुख्यालयों से दो लेन सड़कों से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क यात्री परिवहन को सुलभ तथा सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से नयी परिवहन नीति बनाई गई है।

सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए इस वर्ष 1496 करोड़ रुपये का प्रावधान कर 90 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है। कुल 3750 करोड़ रुपये लागत की 16 मध्यम योजनाएँ तथा 1254 लघु योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। इनसे लगभग पौने चार लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। इसके अतिरिक्त नर्मदा घाटी परियोजनाओं में वर्ष 2008-09 में 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है।

बिजली विकास का आधार है। विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता में 3000 मेगावाट से अधिक की बढ़ोत्तरी हुई है। अगले पाँच साल में हमारा लक्ष्य लगभग 6500 मेगावाट की वृद्धि का है। इस वर्ष विद्युत उत्पादन की परियोजनाओं के निर्माण और सुधार पर 1390 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गाँवों में 24 घंटे और खेती के लिए आठ घंटे बिजली प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए फीडर विभाजन का कार्य किया जा रहा है। कृषक राहत योजना का लगभग पाँच लाख किसान लाभ ले चुके हैं। किसान को बिजली की बढ़ी दरों के बोझ से बचाने के लिए इस वर्ष 1300 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं।

हमने सूखे से उत्पन्न जल संकट से निपटने के लिए प्रदेश के तालाबों और अन्य परम्परागत जल-स्रोतों के संरक्षण का अभियान संचालित किया। प्रदेश में 300 नल जल योजनाएँ पूर्ण करने के साथ करीब दस हजार ग्रामीण बसाहटों और 300 शालाओं में पेयजल की व्यवस्था की गई।

इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं उज्जैन शहरों के सुनियोजित विकास के लिए 3181 करोड़ रुपये लागत की 48 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। शहरी गरीबों के लिए 59 हजार से ज्यादा आवास बनाए जा रहे हैं। शहरी घरेलू कामकाजी बहनों का पंजीकरण कर उनके परिवार की सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और कौशल उन्नयन संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा।

राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को पूरी तत्परता से लागू किया गया है। इसके तहत इस वर्ष लगभग 38 लाख ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है और उन्हें मजदूरी के रूप में लगभग 1600 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। गाँव-गाँव में रोजगार के अवसर निर्मित किए गए हैं। योजना के तहत इस वर्ष तीन लाख 24 हजार निर्माण कार्य लिए गए हैं और अब तक एक लाख 43 हजार पूरे किए जा चुके हैं। जलाभिषेक कार्यक्रम के अन्तर्गत जल संरक्षण के कार्य निरन्तर जारी हैं।

महिलाओं को स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण देने में हम अग्रणी रहे। लाड़ली लक्ष्मी योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। अब तक लगभग तीन लाख 85 हजार बालिकाओं को इसका लाभ दिया जा चुका है। इसी तरह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ एक लाख से अधिक कन्याओं को मिल चुका है। साझा चूल्हा व्यवस्था में 65 हजार महिला स्व-सहायता समूह कार्य कर रहे हैं।

प्रदेश में कुपोषण की दर में कमी आई है। लगभग 20,000 नए आँगनवाड़ी एवं उप आँगनवाड़ी केन्द्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए 200 पोषण पुनर्वास केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2005 में संस्थागत प्रसव 26 प्रतिशत था जो अब बढ़कर 72 प्रतिशत हो गया है। प्रदेश में शिशु एवं मातृ मृत्युदर में भी उल्लेखनीय कमी आई है।

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों के समग्र विकास और संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वन अधिकार-पत्र देने में प्रदेश देश में अग्रणी बना हुआ है। अब तक एक लाख से अधिक दावे मान्य कर 70

हजार से अधिक अधिकार-पत्र सौंपे जा चुके हैं। वनवासियों की भूमि को खेती लायक बनाने और उस पर कुएँ खोदकर डीजल या विद्युत पंप लगाने का काम भी किया जा रहा है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति छात्रों की शिक्षा के लिए हर साल हाईस्कूल, प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास तथा आश्रम शालाएँ खोली जा रही हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत 14 विशेष न्यायालय स्थापित किए गए। विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से लगभग 25 हजार पदों की पूर्ति की गई है तथा इस अभियान की अवधि को जून 2010 तक बढ़ाया गया है। अन्य पिछड़े वर्गों को लाभान्वित करने के लिए क्रीमिलेयर हेतु निर्धारित आय सीमा ढाई लाख रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर साढ़े चार लाख रुपये की गई है।

ग्रामीण क्षेत्र में सुलभ न्याय के लिए 40 जिलों में ग्राम न्यायालय स्थापित किए गए।

पिछले साल तेंदूपत्ता संग्राहकों को लगभग 112 करोड़ रुपये की मजदूरी वितरित की गई। हरियाली महोत्सव में पिछले दो साल में 10 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया गया। वर्ष 2010 को बाँस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। वनग्रामों के उत्थान के लिए 279 करोड़ 44 लाख रुपये की एक नई योजना तैयार की गई है।

मुख्यमंत्री हाथठेला एवं सायकल-रिक्शा चालक कल्याण योजना 2009 प्रारंभ की गई है। उन्हें किराएदार से मालिक बनाने, उनकी शिक्षा, चिकित्सा तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए सहायता देने की व्यवस्था की गई है।

शिक्षा पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध करायी गई हैं। नए स्कूल भवनों का निर्माण एवं शिक्षकों की भर्ती का कार्य निरन्तर जारी है।

विश्वव्यापी मंदी, व्यापक सूखे के बावजूद मध्यप्रदेश की विकास दर में वृद्धि हुई, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर विकास दर में गिरावट आई है। आयोजना व्यय में वर्ष 2003-04 की तुलना में 160 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। प्रदेश ने वर्ष 2008-09 में 5.57 प्रतिशत वृद्धि दर हासिल की। प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1999-2000 की तुलना में 63 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है।

युवाओं के लिए रोजगार के नये अवसर निर्मित करने तथा उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए प्रदेश में युवा नीति लागू की गई है। इस नीति में अन्य बातों के साथ प्रतिवर्ष 50 हजार युवाओं को रोजगार में स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा गया है।

पिछले तीन साल में 14 खेलों की अकादमियाँ तथा कुल 196 ग्रामीण युवा केन्द्र स्थापित हुए। इन अकादमियों के खिलाड़ियों ने वर्ष 2009 में लगभग 800 पदक जीते।

शासन को जन केन्द्रित बनाकर सुशासन के उद्देश्य से प्रत्येक मंगलवार को विभिन्न स्तरों पर 'जन सुनवाई' कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें लोगों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देकर प्रशासन में अधिक पारदर्शिता लाई जा रही है। सिटीजन चार्टर को अधिनियम का स्वरूप दिया जाएगा।

सरकार प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने में सफल रही है। खनिज एवं नशीले पदार्थ के अवैध व्यापार तथा भू-माफिया पर अंकुश लगाया गया है। गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं की अवैधानिक गतिविधियों को सख्ती से रोक कर वास्तविक सदस्यों को उनका हक दिलाया गया है। जमाखोरों तथा कालाबाजारियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए गए हैं। डकैत तथा नक्सलवाद की समस्या पर पूरा नियंत्रण किया गया है। हमारा संकल्प है कि जहाँ किसी निर्दोष को कष्ट न हो वहीं दोषी भी बच न पाए।

हम समाज के सभी वर्गों के सक्रिय सहयोग के साथ विकास पथ पर आगे बढ़ेंगे। आइए, स्वर्णिम मध्यप्रदेश के निर्माण में सहभागी बनें।

❖